राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY
खनिज भवन, उदयपुर – 313 001 / Khanij Bhawan, Udaipur – 313 001
दूरभाष / Phones: 2415091.95, फेक्स /Fax: 0294 . 2410 526

क्रमांकः निदे / प.2 / कास / नीलामी / 2017 / दिनांकः– .07.2017

नीलामी से खनन पट्टा आवंटन प्रकिया के संबंध में प्रश्नावली

1. खनन पट्टा कैसे लिया जा सकता है ?

खनन पट्टा इलेक्ट्रोनिक नीलामी के माध्यम से उच्चतम प्रीमियम बोलीदाता को स्वीकृत किया जायेंगा ।

2. खनन प्लॉट की नीलामी की जानकारी कैसे मिलेगी ?

निदेशालय के नीलामी प्रकोष्ठ द्वारा नीलामी विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्रों में कराया जायेगा । इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट (www.mines.rajasthan.gov.in) व इलेक्ट्रोनिक नीलामी हेतु अनुबन्धित सेवा प्रदाता एम.एस.टी.सी, की वेबसाईट (www.mstcecommerce.com) पर बोली प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिन पूर्व अपलोड किया जायेगा । इस विज्ञप्ति को विभाग के सभी खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता एवं निदेशालय के नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जायेंगा ।

3. नीलाम किये जाने वाले प्लाटों के बारे में विस्तृत जानकारी कैसे प्राप्त होगी ?

विभागीय वेबसाईट पर नीलाम किये जाने वाले प्लाटों के बारे में जानकारी जैसे प्लॉट का क्षेत्रफल, आक्षंतर व देशांतर, राजस्व गॉव का नाम व तहसील, खसरा संख्या व भूमि की किस्म, खनिज आदि की जानकारी विज्ञप्ति के अलावा विभागीय व एम.एस.टी.सी. की वेबसाईट पर अपलोड की जावेंगी जिससे कि इच्छुक बोलीदाता द्वारा मौके पर जाकर खनिज प्लॉट को देखा जा सकता है । खनन प्लॉट में स्थित खनिज के भण्डारों, गुणवत्ता का आकलंन बोलीदाता को स्वयं अपने स्तर से करना होगा ।

4. नीलामी में भाग लेने के लिये क्या करना होगा ?

बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि को डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट (DSC) (Signing & Encription type) बनवाना होगा जिसकी प्रक्रिया ई–प्रोक्योरमेंट की वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in व एम.एस.टी.सी की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है ।

बोलीदाता को एम.एस.टी.सी. (ई–ऑक्शन सर्विस प्रोवाईडर) में पंजीयन कराना होगा। उक्त पंजीयन (www.mstcecommerce.com) पर ऑनलाईन होगा जिसमें एक बारीय रूपये 10 हजार एवं लागू जीएसटी (GST) नॉन–रिफन्डेबल फीस भी जमा होगी। उक्त पंजीयन जिस

DSC से किया जावेगा उसी DSC से ऑन लाईन ई–ऑक्शन हेतु बोली दी जा सकेगी । पंजीयन होने पर बोलीदाता को यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा ।

एक बार पंजीयन कराने के पश्चात वह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी इत्यादि विभाग द्वारा खनिज प्लॉटों एवं आरसीसी/ईआरसीसी ठेकों के लिये की जाने वाली किसी भी ई–नीलामी में भाग ले सकेगा।

5. ई–नीलामी हेतु बोली किसके लिये लगाई जायेगी एवं आरक्षित राशि (रिजर्व प्राईज) क्या होगी ?

खनन पट्टा आवंटन हेतु ई–नीलामी प्रीमियम राशि निर्धारण के लिये लगाई जायेगी। प्रीमियम की आरक्षित राशि प्रचलित रॉयल्टी दर की 20 प्रतिशत है । बोलीदाता उक्त आरक्षित दर से उपर ही अपनी बोली प्रतिशत वृद्धि में प्रस्तुत कर सकेगा । यह प्रीमियम राशि अतिरिक्त रूप से प्रत्येक निर्गमन पर देय होगी तथा प्रीमियम राशि का समायोजन डेडरेन्ट में नही होगा । सफल बोलीदाता को वार्षिक न्यूनतम गारन्टेड प्रीमियम देना होगा जो कि खनन पट्टे स्थिर भाटक के बराबर होगा। रॉयल्टी की दरो में वृद्धि होने पर उसी अनुपात में प्रीमियम राशि भी बढेगी ।

उदाहरणः– जैसे भरतपुर जिले में मेसेनरी स्टोन के प्लॉट के लिये नीलामी की जा रही है, जहॉ पर वर्तमान में रॉयल्टी की दर 30.00 रूपये प्रति टन निर्धारित है । इस प्लॉट की नीलामी के लिये रिजर्व प्राईज 20 प्रतिशत (अर्थात 6 रूपये प्रतिटन प्रीमीयम के रूप में रॉयल्टी के अतिरिक्त राशि) से शुरू की जायेगी । बोलीदाताओं द्वारा बोली प्रतिशत के रूप में बढाई जावेंगी । माना कि उक्त नीलामी में अधिकतम बोली 140 प्रतिशत रही है ऐसी स्थिति में सफल बोलीदाता को रॉयल्टी दर का 140 प्रतिशत अर्थात 42 रूपये प्रतिटन प्रीमीयम रॉयल्टी के अतिरिक्त खनिज निर्गमन पर देना होगा ।

6. ई–नीलामी की प्रक्रिया क्या होगी ?

ई–नीलामी की प्रक्रिया दो चरणों में होगी ।

प्रथम चरणः– प्रत्येक बोलीदाता को जो एम.एस.टी.सी में रजिस्टर्ड होगा, को बोली लगाते वक्त निम्न दस्तावेज अपलोड करने होगे :–

I. फॉर्म–3 में बिड पत्र की स्केन की गई प्रति जिसमें बिड आवेदन की तिथि सन्दर्भित स्थान पर इन्द्राज करने के पश्चात फार्म–3 के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना होगा ।

II. बिड प्रतिभूति राशि जो कि खनन प्लॉट के स्थिरभाटक के बराबर होगी, एम.एस.टी.सी. के खाते में ऑन लाईन आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस के जरिये जमा करानी होगी । उक्त राशि को जमा कराने पश्चात यूटीआर नम्बर एम.एस.टी.सी. को सूचित करना आवश्यक होगा ।

III. बोलीदाता को प्रारम्भिक प्राईस ऑफर भी ऑन लाईन प्रस्तुत करनी होगी। यह रिजर्व प्राईज प्रचलित रॉयल्टी दर के प्रतिशत में होगी जो कि रिजर्व प्राईज 20 प्रतिशत से कम नही होनी चाहिए ।

IV. बोलीदाता के नाम, उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में वर्तमान में घृत अथवा पूर्व में घृत रहा कोई ठेका/खनन पटटा/क्वारी लाईसेंस रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो–ड्यूज प्रमाण पत्रों जो कि 6 माह से अधिक पुराने ना हो, की स्केन प्रति ।

V. बोलीदाता के नाम, उसके परिवारजनों के नाम, तथा उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस रहा है अथवा नहीं रहा हो, इस सम्बन्ध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/– के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है । शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब, स, द, ई सलंग्न है ।

1. यदि बोलीदाता individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप 'अ' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप 'ब' में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप 'स' में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप 'द' में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप 'ई' में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।

नोटः– शपथ पत्र के प्रारूप 'अ', 'ब' तथा 'द' में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप 'स' तथा 'ई' में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वही शपथ पत्र में अंकित किया जावे ।

VI. बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफीकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की स्केन प्रति ।

VII. बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की स्केन प्रति।

VIII. गत वित्तीय वर्ष की आयकर विवरणी अथवा चार्टड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित बेलेंस शीट की स्केन प्रति।

IX. पेनकार्ड / TIN की स्केन प्रति।

X. एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र की स्केन प्रति।

XI. ई–मेल एड्रेस एवं मोबाईल नम्बर ।

XII. आवेदक फर्म होने पर पावर ऑफ एटोर्नी (एमएमसीआर, 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की स्केन प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की स्केन प्रति ।

प्रथम चरण में प्रस्तुत बोलीदाताओं के तकनीकि दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात जिन बोलीदाताओं के दस्तावेज पूर्ण पाये जायेगे उनकी ही प्रथम चरण में प्रस्तुत प्रारम्भिक प्राईज बिड खोली जायेगी । प्रथम चरण में प्राप्त प्रारम्भिक प्राईज बिड में वरियता के आधार पर(उच्चतम से न्यूनतम) सूची बनाई जायेगी । उक्त सूची में कुल बोलीदाताओं के प्रथम 50 प्रतिशत बोलीदाताओं (पॉच से अधिक होने की दशा में न्यूनतम पॉच) को ही द्वितीय चरण में बोली प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावेंगी । यदि कुल बोलीदाताओं की संख्या पॉच या पॉच से कम (न्यूनतम दो) होने पर सभी योग्य बोलीदाताओं को द्वितीय चरण में बोली प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावेंगी ।

द्वितीय चरणः– द्वितीय चरण के लिये चयनित बोलीदाताओं को जरिये ईमेल एक वेबसाईट लिंक भेजा जायेगा । उक्त वेबसाईट लिंक के जरिये निर्धारित तिथि एवं समय पर बोलीदाता नीलामी में भाग लेकर अपनी बोली प्रस्तुत कर सकता है । योग्य बोलीदाता अपनी बोली कितनी बार भी बढा सकता है । नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ जावेगा । यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नही होती है ।

7. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व क्या सावधानियॉ रखनी होगी ?

I. बोलीदाता के पास वैद्य डीजिटल सिगनेचर सर्टीफिकेट (DSC signing type) होना चाहिए तथा इसके पासवर्ड की गोपनीयता रखनी होगी ।
II. एम.एस.टी.सी. के साथ पंजियन होने के बाद प्राप्त होने वाले यूजर आई डी एवं पासवर्ड की गोपनीयता रखनी होगी ।
III. नीलामी के प्रथम राउण्ड में तकनीकि बिड के साथ नियम 14(7)(i)में वर्णित सभी दस्तावेज आवश्यक रूप से अपलोड करने होगे ।
IV. खनन प्लाट क्षेत्र में पहुॅच के लिये मार्ग, संचार एवं आधारभुत सुविधाओं का समुचित परीक्षण /अध्ययन बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व अपने स्तर से आकंलन कर लेना चाहिए । बोलीदाता विभाग पर किसी प्रकार का कोई क्लेम नही कर सकेगा ।
V. बोलीदाता या उसके वैद्य प्रतिनिधि को नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया में उच्चतम आदर्श व नीति की पालना करनी होगी । किसी प्रकार की प्रतिबधित, भष्ट्र, फरेबी या अवांछित गतिविधि पाये जाने पर बोलीदाता की बोली निरस्त की जा सकेगी ।
VI. बोली प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता के संबंध में यह माना जावेगा कि उसके द्वारा नियमों, ई–नीलामी की गाईडलाईन व प्रक्रिया का पूर्ण व भलीभॉति अध्ययन कर लिया गया है ।

8. सफल बोलीदाता घोषित होने के बाद उसे क्या करना होगा ?

सफल बोलीदाता को प्रथम किश्त जो कि न्यूनतम वार्षिक गारन्टेड प्रीमियम राशि की 25 प्रतिशत राशि के बराबर है, जमा करानी होगी जिस पर उसे विभाग के सक्षम अधिकारी की ओर से खनन पट्टा स्वीकृत करने का मंशा पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें निम्न शर्ते होगीः–

I. 30 दिवस में न्यूनतम गारन्टी की द्वितीय किस्त (25 प्रतिशत राशि) जमा करानी होगी ।
II. छः माह में परफोरमेंस सिक्युरिटी एवं अनुमोदित माईनिंग प्लान जमा कराना होगा ।
III. 18 माह में पर्यावरण क्लीयरेन्स (ई.सी.) पेश करनी होगी ।
IV. उक्त पालना करने पर खनन पट्टा स्वीकृत किया जावेंगा ।

9. यदि खनन प्लॉट में खातेदारी भूमि है तो क्या खातेदार के अलावा कोई अन्य व्यक्ति खनन पट्टा प्राप्त कर सकता है ?

जी हॉ, खातेदार के अलावा अन्य व्यक्ति भी खातेदारी भूमि में खनन पट्टा प्राप्त कर सकता है, परन्तु खातेदार के अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति उच्चतम बोली लगाता है तो भी उस बोली पर खातेदार को खनन पट्टे प्राप्त करने का प्रथम अधिकार होगा । ऐसी स्थिति में यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई उच्चतम बोली पर खातेदार को खनन पट्टा लेने हेतु संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता, द्वारा द्वितीय राउण्ड की समाप्ति के 7 दिवस में नोटिस दिया जावेंगा । यदि खातेदार प्राप्त उच्चतम बोली पर खनन पट्टा आवंटन कराने में इच्छुक हुआ तो उच्चतम बोलीदाता को जमाशुद्ध राशि लौटाई जाकर खनन पट्टा खातेदार के पक्ष में आवंटन की कार्यवाही की जावेगी । यदि खाातेदार इच्छुक नही है तो उच्चतम बोलीदाता को 60 दिवस की अवधि में खातेदारों से पंजिकृत सहमति प्रस्तुत करने पर ही सफल बोलीदाता घोषित किया जाकर खनन पट्टा आवंटन की कार्यवाही की जावेंगी। पंजिकृत सहमति प्रस्तुत नही कर पाने की स्थिति में नीलामी प्रक्रिया रद्द हो जायेगी ।